आवक क्रमांक 203
दिनांक 22/01/2025
म.प्र. स्टेट ... , उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.

म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.

क्रमांक: 51 / 06 /CC/ 25/ 38 भोपाल, दिनांक 22/ 01 /2025

प्रति,

आयुक्त/परियोजना संचालक
परियोजना संचालनालय
उच्च शिक्षा, म.प्र.

विषय:-प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम.-ऊषा) के कंपोनेंट 01 अंतर्गत स्वीकृत विश्वविद्यालयों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बावत ।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17-18 जनवरी 2024 को आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की प्रथम बैठक में पी.एम. ऊषा परियोजना कंपोनेंट 01(बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय-MERU) अंतर्गत 03 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

03 परियोजना कार्यों हेतु वित्तीय व्यय समिति (EFC) की बैठक दिनांक 28.10.2024 को आयोजित की गई। जिसका अनुमोदन वित्त विभाग द्वारा क्र. 01/R-1057/B-03/चार/2024 दिनांक 01.01.2025 से किया गया है ।

वित्तीय व्यय समिति एवं प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के अनुक्रम में 03 निम्नानुसार विश्वविद्यालयों को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

स.क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुमोदित राशि	मदवार प्रस्तावित राशि			
			नवीन निर्माण	रेनोवेशन / अपग्रेडेशन	क्रय	सॉफ्टकंपोनेंट
1	बरकतउल्ला वि.वि., भोपाल	100	37.00	18.00	30.00	15.00
2	जीवाजी वि.वि.,ग्वालियर	100	38.09	5.45	40.32	16.14
3	विक्रम वि.वि., उज्जैन	100	43.22	6.01	40.72	10.05
कुल		300	118.31	29.46	111.04	41.19

परियोजना कार्य की स्वीकृति की शर्तें:

1. व्यय वित्तीय नियमों एवं योजना हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत किया जाये ।
2. उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पी.एम. ऊषा दिशा-निर्देशों, एस.ओ.पी. एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में किया जाएगा।
3. उक्त प्रशासकीय स्वीकृति की राशि पी.एम. ऊषा के बजट – 7600 की मांग संख्या-4202/2202 अंतर्गत विकलनीय होगा ।

निरंतर........

Scanned with OKEN Scanner

4. व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों, मध्यप्रदेश वित्त संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन एवं भंडार क्रय नियमो का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
5. सामग्री का क्रय प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नवीन म.प्र.भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2022 के पालनार्थ सुनिश्चित किया जावे ।
6. सिविल अधोसंरचना निर्माण/अपग्रेडेशन/रेनोवेशन की गुणवत्ता एवं समय-सीमा में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित की जावे ।
7. व्यय राशि एवं क्रय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे।
8. मितव्ययता का ध्यान रखे एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे ।
9. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित की होगी ।
10. निर्देशानुसार परियोजना अंतर्गत अनुमोदित समस्त कार्य समय-सीमा में सम्पादित कर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 05 तारीख तक संबंधित को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22-1-25

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक: 52 / 06 /CC/ 25 / 38 भोपाल, दिनांक 22 / 01 /2025

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/ राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
4. अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
6. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. भवन विकास निगम, भोपाल, म.प्र. ।
8. कुलसचिव, सम्बंधित विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. अपर संचालक, वित्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म. प्र. ।
10. वित्त नियत्रंक, राज्य परियोजना संचालनालय, पी.एम. ऊषा, भोपाल, म.प्र. ।
11. वि.क.अ., (पी.एम.-ऊषा)राज्य परियोजना संचालनालय, पी.एम. ऊषा, भोपाल, म.प्र. ।
12. सम्बंधित कोषालय/ उपकोषालय आधिकारी, म.प्र. ।
13. गार्ड फाइल ।

22-1-25

Scanned with OKEN Scanner